फा.सं. 4/9/2018-आईआर
भारत सरकार
कार्मिक,लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांकः 26.07.2018

विषयः **केंद्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति।**

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत भारत सरकार ने केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया है जो नई दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्त की शक्तियां और कार्य सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसार हैं।

2. केंद्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति का प्रस्ताव है।

3. अधिनियम में यह प्रावधान है कि सूचना आयुक्तः-

(i) विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, मास-मीडिया अथवा प्रशासन और शासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने के साथ-साथ सार्वजनिक जीवन में ख्यातिप्राप्त व्यक्ति होना चाहिए।

(ii) कोई संसद सदस्य अथवा किसी राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल, जैसा भी मामला हो, का सदस्य नहीं होना चाहिए अथवा कोई अन्य लाभ का पद धारण करने वाला नहीं होना चाहिए अथवा किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं होना चाहिए अथवा कोई व्यापार अथवा वृत्ति करने वाला नहीं होना चाहिए। यह स्पष्ट किया जाता है कि धारित किसी लाभ के पद, किसी वृत्ति अथवा किसी व्यापार की समाप्ति, सूचना आयुक्त के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति की पूर्व शर्त है।

4. ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 65 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

5. सूचना आयुक्तों का वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य निबंधन एवं शर्तें वही होंगी जो चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति के समय विनिर्दिष्ट की जाएँ।

6. सूचना आयुक्त के पद के मानदण्डों को पूरा करने वाले और नियुक्ति के लिए इच्छुक व्यक्ति संलग्न प्रारुप में अपने विवरण डाक द्वारा अवर सचिव (सूचना का अधिकार), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को, अथवा ई-मेल के माध्यम से usrtidopt@nic.in पर भेजें ताकि आवेदन 1 अगस्त से 31 अगस्त, 2018 तक पहुंच सके। ऐसे व्यक्ति जो राज्य/केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य संगठन में कार्यरत हैं, वे अपना विवरण/आवेदन उचित माध्यम (प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र) से भेजें।

व सिन्हा
(वर्षा सिन्हा)
निदेशक-आईआर
दूरभाष:23092755

टिप्पणीः

1. **ऐसे व्यक्ति जिन्होंने दिनांक 02.09.2016 की विज्ञप्ति के उत्तर में पहले आवेदन किया है, से अनुरोध है कि यदि पात्र हों, तो नए सिरे से आवेदन करें।**
2. **सामान्य जानकारी हेतु इच्छुक आवेदक, जैसा उचित हो, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 और उसके अंतर्गत नियमों का संदर्भ लें।**

केन्द्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के पद हेतु विचार किए जाने लिए भेजे गए विवरण हेतु प्रोफोर्मा

कृपया पोसपोर्ट आकार का नवीनतम फोटाग्राफ चिपकाएं

1. नाम :
2. जन्मतिथि :
3. वर्तमान पता :
4. संपर्क नं. :
   क) दूरभाष (एसटीडी कोड सहित) :
   ख) मोबाइल :
   ग) फैक्स :
5. ई-मेल पता :
6. शैक्षिक योग्यता :
7. ख्याति का क्षेत्र :
8. वर्तमान व्यवसाय :
9. उपलब्धियां/कार्य अनुभव :
   (अनुलग्नक के अनुसार)

दिनांक: हस्ताक्षर:
स्थान: नाम:

अनुलग्नक

सूचना आयुक्त के पद हेतु आवेदन करने वाले उम्मीदवार के संबध में उपलब्धियां/कार्य अनुभव का विवरण

क्र.सं.	पद	संगठन	अवधि कब से	 कब तक	उपलब्धियां/अनुभव का विवरण (संक्षेप में)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					